वाणिज्य अ.ज.– 661

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ. (मुख्यालय.) / अधी.अ.(वा.) / अ.अ.–II / 2016–17 / प्रे 13 दि: 5/4/17

आदेश

विषयः– मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभेक्ताओं के भार की जांच के सबंध में।

पूर्व में मीटर श्रेणी के कृषि उपभेक्ताओं के भार की जांच के संबंध में जारी आदेश क्र. अ.वि.वि.नि.लि. / मु.अ. (मुख्यालय.) / अधी.अ.(वा.) / अ.अ.–II / 2016–17 / प्रे 4923 दि. 20.02.17 (वाणिज्य आदेश –651) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है–

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच की साधारणतया आवश्यकता नहीं है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर फ्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में जहां कृषि श्रेणी उपभोक्ता (मीटर अथवा फ्लैट रेट) की बिलिंग फ्लैट रेट श्रेणी के अन्तर्गत की जा रही है, यह निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के कनेक्शन के भार की जाँच की जावें एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात या 30 दिन बाद ही भार बढाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

जिन मीटर एंव फ्लैट रेट श्रेणी के उपभोक्ताओं की जाँच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढे हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावें। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

आज्ञा से

5/4/17

(एन. एल. सालवी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर